

Restoration of Casual Leave to Twelve days

964. SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI SHIV CHARAN SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employees association have been demanding restoration of twelve days casual leave per annum; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes Sir.

(b) There is no proposal to reconsider the matter.

Retention of Retired IAS / IPS Officers

965. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of IAS/IPS retired officers retained by Government during the last two years;

(b) the number of such officers still retained after serving for more than one year after their retirement;

(c) the details of Government's policy in this regard;

(d) whether Government propose to review the existing policy as such; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN):

(a) and (b) The number of IA/IPS officers whose services were extended beyond their scheduled date of superannuation with

the approval of the Central Government, during the last two years is twenty two and seventeen respectively. The number of IAS officers presently on extension for more than a year is two and none of the IPS officers - .who were granted extension in service' for more than a year is in service at present.

(c) to (e) As per amended provisions effective from May 22, 1998, under Rule 16(1) of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, extension in service for a maximum period of three months can be granted, with the approval of the Central Government, only to a member of the Service dealing with Budget Work or working as a full-time member of a Committee which is to be wound up within a short period.

मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्तियों के लिए मानदंड

966. श्री चीमन भाई हरीभाई शुक्ला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड है तथा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) मौजूदा मंत्रिमंडल के मंत्रियों के किन-किन व्यक्तियों को अपने निजी स्टाफ में किन-किन पदों पर नियुक्त किया है;

(ग) किन-किन भूतपूर्व मंत्रियों के साथ इस प्रकार नियुक्त किए व्यक्तियों ने कार्य किया था तथा उस समय उनका दर्जा क्या था और क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने संबंधित विभागों से अनुमति नहीं ली हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) और (ख) मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में विस्तृत अनुदेश इस विभाग के दिनांक 14.1.94 के कार्यालय ज्ञापन सं. 8/3/92-केन्द्रीय सेवा-॥ (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी / संकलित किए गए हैं। प्रत्येक मंत्री के संबंध में स्वीकार्य वैयक्तिक कर्मचारियों की श्रेणियां उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गई हैं। अपने वैयक्तिक कर्मचारियों का चयन

मंत्री अपने विवेक से कर सकते हैं। फिर भी जहाँ कहीं ऐसे कर्मचारियों के संबंध में ढील दी जानी अपेक्षित हो जो आयु-सीमा अथवा शैक्षिक अर्हताओं और यथा निर्धारित टंकण तथा आशुलिपि संबंधी अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हों, तो ऐसी ढील कार्मिक और प्रशिक्षण—विभाग की सहमति से ही दी जानी अपेक्षित होती है। मंत्रियों द्वारा अपने वैयक्तिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें जिन पदों पर नियुक्त किया गया, से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त वर्तमान पदधारियों की पिछली नियुक्तियों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से संकलित नहीं की जाती। यह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है कि वे इस बात की जांच कर ले कि क्या उनकी नियुक्तियों के लिए अनुमति ले ली गई है।

सं.8/3/92-के.से.-11

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14-01-94

3. सामान्य हकदारी:-

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी तथा संबंधित विषयों पर समेकित अनुदेश।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में समय-समय पर केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों को अनुमत्य वैयक्तिक स्टाफ की संख्या तथा संबंधित विषयों पर अनुदेश जारी किए हैं। इस विषय पर जारी किए गए, विभिन्न आदेशों को संदर्भ सुविधा हेतु इस कार्यालय-ज्ञापन में अद्यतन तथा समेकित किया गया है।

2. इसमें परवर्ती अभिव्यक्ति “एकल मंत्रालय अथवा स्वतंत्र विभाग” से तात्पर्य किसी एकल मंत्रालय अथवा पृथक विभाग से हैं, जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार (कारोबार आंबटन) नियमावली, 1961 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें एक ही मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, आर्थिक-कार्य विभाग इत्यादि शामिल नहीं होंगे। किन्तु अलग-अलग स्वतंत्र विभाग जैसे कि अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आदि शामिल होंगे।

केबिनेट मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतन मान (1.1.86 से यथा संशोधित)	अभ्युक्तियाँ
निजी सचिव	1	(3700-5000/-रु.) (4500-5700/-रु.)	
अतिरिक्त निजी सचिव	2	(3000-4500/-रु.)	
सहायक निजी सचिव	2	(2000-3500/-रु.)	केन्द्रीय सचिवाय आशुलिपिक सेवा के “क” तथा “ख” (संविलियत ग्रेड में शामिल।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000-3500/-रु.)	-वहीं-
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640-2900/-रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड “ग” में शामिल
हिन्दी आशुलिपिक	1	(1400-2600/-रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं (यदि मंत्री द्वारा मांगा जाए)

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.86 से यथा संशोधित)	अभियुक्तियां
लिपिक	1	(950-1500/-रु.)	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
ड्राइवर	1	(950-1500/-रु.)	
जमादार	1	(775-1025/-रु.)	
चपरासी	4	(750-940/रु.)	
कुल	15		

मंत्री /उप मंत्री/संसदीय सचिव जब किसी एक मंत्रालय अथवा किसी एक स्वतंत्र विभाग का

कार्यभार संभालते हैं तो सामान्यतःउनके वैयक्तिक स्टाफ की निम्नलिखित संख्या अनुमत्य होगी:-

राज्य मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान(1.1.86 से यथा संशोधित)	अभियुक्तियां
निजी सचिव	1	(3700-5000रु.) (4500-5700 रु.)	
अतिरिक्त निजी सचिव	1	(3000-4500 रु.)	
सहायक निजी सचिव	1	(2000-3500रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित)में शामिल।जब राज्य मंत्री किसी मंत्रालय/विभाग का स्वतंत्र कार्यभार संभालते हैं तो यदि आवश्यक हो उन्हें एक अतिरिक्त सहायक निजी सचिव दिया जा सकता है
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000-3500 रु.)	के.से.आशु.सेवा के ग्रेड"क" तथा "ख" (संविलित)में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	2	(1640-2900 रु.)	के.स.आशु.से.के ग्रेड"ग" में शामिल ।
हिन्दी आशुलिपिक	1	(1400-2600 रु.)	(के.स.लिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं) (यदि मंत्री द्वारा मांगा जाए)
लिपिक	1	(950-1500 रु.)	के.स.लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल ।
ड्राइवर	1	(950-1500 रु.)	
जमादार	1	(775-1025 रु.)	
चपरासी	3	(750-940 रु.)	
कुल	13		

उप मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतन मान (1.1.86 से यथा संशोधित)	अभियुक्तियां
निजी सचिव	1	(3700-5000रु.)	
		(4500-5700रु.)	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000-3500 रु.)	के.स.आशु.से.ग्रेड"क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640-2900 रु.)	के.स.आशु.से.ग्रेड"ग" में शामिल।
लिपिक	1	(950-1500रु.)	के.से.लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
झाड़वर	1	(950-1500 रु.)	
जमादार	1	(750-1025 रु.)	
चपरासी	1	(950-940 रु.)	
कुल	7		

संसदीय सचिव

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.86 से यथा संशोधित)	अभियुक्तियां
निजी सचिव	1	(3700-5000 रु.)	
		(45-5700 रु.)	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000-35000 रु.)	के.स.आशु.से.के ग्रेड"क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640-2900 रु.)	के.से.आशु.से.के ग्रेड "ग" में शामिल
झाड़वर	1	(950-1500 रु.)	
चपरासी	1	(750-940 रु.)	
कुल	5		

(का.ज्ञा.सं.8/5/85-के.से.॥ दिनांक 2.4.85,4.4.85,11.6.91)

4.विशेष/निर्दिष्ट परिस्थितियों में हकदारी:

(क) जब केबिनेट मंत्री द्वारा दो अलग-अलग मंत्रालयों का कार्यभार संभाला जा रहा हो:

उन परिस्थितियों में जहां केबिनेट मंत्री नियमित आधार पर (अस्थायी तौर पर नहीं) दो स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहा हो तो वहां पर उपरोक्त पैरा 3 में केबिनेट मंत्री के लिए यथा निर्धारित पूर्ण स्टाफ, दोनों मंत्रालयों में प्रत्येक के लिए अलग से अनुमत्य होगा।

(का.ज्ञा.सं.-8/7/89-के.से.॥ दिनांक 22.6.90)

(ख) जहां राज्य मंत्री के पास अतिरिक्त कार्यभार हो:

जहां राज्य मंत्री किसी अन्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अधीन किसी एक स्वतंत्र विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा हो वहां यदि मंत्री मांग करे तो वह विशेष निजी सचिव (3700-5000/-रुपये) के एक अतिरिक्त पद के लिए हकदार होगा। लेकिन यह उस राज्य मंत्री के मामले में अनुमत्य नहीं होगा जाकि एक ही मंत्रालय के अधीन एक से अधिक विभागों का काम देख रहा हो।

(का.ज्ञा.सं.8/5/85-के.से.(ii) दिनांक 6.8.91)

तथापि विशेष निजी सचिव की हकदारी के प्रावधान की व्यवस्था स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

(का.ज्ञा.सं.-8/5/85-के.से.(ii) दिनांक 8.12.92)

(ग) जब मंत्री द्वारा अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कार्यभार वहन किया जा रहा हो:

जब किसी मंत्री को किसी ऐसे अतिरिक्त पोर्टफोलिओं का कार्यभार सौंपा जाता है जिसे पहले कोई अन्य मंत्री देख रहे थे और जिन्होंने त्यागपत्र देकर अथवा अन्यथा मंत्री परिषद को छोड़ दिया हो तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अतिरिक्त कार्यभार संभाले जाने की अवधि तक वे नीचे दी गई मात्रा में कार्यभार के लिए अतिरिक्त वैयक्तिक स्टाफ के हकदार होंगे:-

1. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव	1
2. प्रथम वैयक्तिक सहायक	1
3. द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1
4. अवर श्रेणी लिपिक	1
5. जमादार	1
6. चपरासी	1

टिप्पणी: 1 यदि पहले से ही वहां निजी सचिव हो तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है तथा

उसे वही रहने दिया जाना चाहिए। कारण ये है कि कई बार अधिकारियों को विभिन्न सेवाओं से निजी सचिव के रूप में लिया जाता है तथा यह वांछित होगा कि स्थायी पदधारी के काम संभालने तक वह इस पद पर कार्य करता रहे।

टिप्पणी-2 उपरोक्त निर्णय ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां किसी मंत्रालय/विभाग के आंशिक कार्य को, मंत्री के विद्यमान पोर्टफोलिओं के साथ जोड़ दिया गया हो। ऐसे मामलों में जहां संशय हो यह जांच करके देखा जा सकता है कि क्या वह मंत्रालय/विभाग जिसे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मंत्री को सौंपा गया है, का कार्य पहले किसी अन्य मंत्री द्वारा संभाला जा रहा था।

टिप्पणी-3: एक से अधिक स्वतंत्र विभाग के कार्यप्रभारी किसी राज्य मंत्री को अनुज्ञेय विशेष निजी सचिव का पद, पूर्वोक्त उप पैरा(ख) में उल्लिखित परिस्थिति में किसी राज्य मंत्री के अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी तौर पर देने पर निर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाफ के अलावा अनुमत्य नहीं होगा।

(का.ज्ञा.सं.-8/6/86-के.से.(ii) दिनांक 4.6.87)

(घ) जब उप मंत्री अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा हो:

जब किसी उप मंत्री को किन्हीं कारणों से अपने मूल कार्यभार के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है और इसे दो अलग-अलग स्थानों पर कार्य करना होता है तो पैरा 3 में दी गई सामान्य हकदारी के अतिरिक्त वह नीचे दिए गए अतिरिक्त स्टाफ के लिए हकदार होगा:-

वैयक्तिक सहायक (1640-2900 रुपये) 1

चपरासी (750-940 रुपये) 1

(कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/17/88-के.से.-॥ दिनांक 30.05.89 के साथ पठित दिनांक 07.06.89 का कार्यालय ज्ञापन)

5. निजी सचिव के पद का स्तर

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य उप सचिव (3700-5000/- रुपये)/निदेशक(4500-5700/- रुपये) स्तर के निजी सचिव के हकदार होंगे।

(का.ज्ञा.सं./8/10/89-के.से.(II),दिनांक 3.8.90)

6. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में पदों का ग्रेड बढ़ाना/निर्धारित संख्या से अधिक पदों का सृजन

6.1 मंत्रियों आदि को अनुज्ञेय वैयक्तिक स्टाफ के पद निर्धारित संख्या से अधिक तब तक सृजित नहीं किये जा सकते जब तक कि इसके लिये वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया जाए।

(का.ज्ञा.सं./8/7/85-के.से.(II),दिनांक 28.5-85)

6.2 मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है जब कि संबंधित मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में कुछ पदों का अभ्यर्पण करके बराबर की बचत की गई हो। तथापि बराबर की बचत के उद्देश्य से निजी सचिव के पद के अभ्यर्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो, अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए बराबर की बचत करने हेतु निम्न स्तर के पदों जिसमें कि आशुलिपिक सेवा के पद भी शामिल है, का अभ्यर्पण न किया जाए।

(का.ज्ञा.सं.-8/5/85-के.से.(II),दिनांक 6.8.91)

6.3 मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में निचले वेतनमान वाले पदों के लिए उच्चतर वेतनमान में वेतन ले रहे कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने के उद्देश्य से पदों का ग्रेड बढ़ाकर उच्चतर वेतनमान में करने का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये। पदों का ग्रेड बढ़ाने का अर्थ वैयक्तिक स्टाफ में विद्यमान पदों के स्थान पर नये पदों का सृजन करना है और ऐसा केवल वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करके ही किया जा सकता है।

(का.ज्ञा.सं./8/11/85-के.से.(ii) दिनांक 18/20.12.1985)

7. निजी सचिवों का कार्य-काल तथा उनकी नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तें:

अपने वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति करने के लिए यह मंत्री पर निर्भर करेगा कि वह व्यक्तियों का चयन सेवारत अधिकारियों में से करे या बाहर के व्यक्तियों में से तथा ऐसी नियुक्ति मंत्रियों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त (को-टर्मिनस) हो जाएगी। तथापि निजी सचिव के कार्यकाल संबंध में निर्धारित नीति इस प्रकार होगी:-

(i) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के निजी सचिव के पद पर नियुक्तियां भारत सरकार के निदेशक(वेतनमान 4500-5700/-रुपये) के स्तर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न पर किस उस अधिकारी को क्या वेतनमान दिया जाना चाहिए यह इस बात को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा कि वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में किस स्तर पर अर्थात् अवर सचिव, उप सचिव या निदेशक के पद जैसा भी मामला हो, का पात्र हैं।

(ii) निजी सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष या जब तक वह निजी सचिव के पद पर कार्य करना छोड़ न दे इन दोनों में से जो भी पहले हो।

(iii) निजी सचिव के रूप में अपनी अवधि की समाप्ति पर अधिकारी को यह कह होगा कि वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य सेवा अवधि के शेष समय के लिए वह उपयुक्त स्तर पर मंत्रालय में ही काम करता रहे जब तक कि उसके इस तरह नियुक्त न किए जाने के कुछ अन्य कारण हों। इस संबंध में स्थापना अधिकारी द्वारा बनाई गई प्रस्ताव सूची में से चुने हुए अधिकारियों या संवर्ग में से सीधे लिए गए अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उपयुक्त स्तर पर नियुक्ति प्रत्येक मामले में रिक्ति की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

(iv) यदि किसी अधिकारी को सामान्य "कूलिंग ऑफ" नियमों में छूट देकर निजी सचिव नियुक्त किया जाता है तथा जहां ऐसी छूट छः महीने से अधिक की अवधि की है तो ऐसी स्थिति में अधिकारी अधिकतम तीन वर्ष या जब तक वह निजी सचिव के पद पर कार्य करना छोड़ न दे, इन दोनों में से जो भी पहले हो तब कार्यभार संभालने का

हकदार होगा तथा वह इससे आगे सेवा अवधि बढ़ाने के लिए हकदार नहीं होगा।

(v) मंत्रियों के निजी सचिवों के रूप में नियुक्त के.स.से.के अधिकारियों की उस स्थिति में पदोन्नति होने पर जबकि वे निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हो, उन्हें के.स.से.के अधिकारियों की पदोन्नति पर अदला-बदली के नियम से छूट दी जाएगी। किन्तु निजी विभाग से भिन्न किसी अन्य विभाग से जाना होगा जहां उन्होंने उप-सचिव के रूप में अनुभव प्राप्त किया है।

(का.ज्ञा.सं.-31/22/90-ई.ओ.(एमएस) दिनांक 13.8.90)

8. एक से अधिक मंत्रालय/विभाग का कार्यभार संभालने वाले मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की अनुमत्य संख्या यद्यपि उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार नियमित होगी, वहीं कुछ पदों को मंत्री द्वारा देखे जा रहे एक विभाग में तथा शेष को दूसरे विभाग में सृजित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक संभव हो, प्रथम वैयक्तिक सहायक, अतिरिक्त वैयक्तिक सहायक तथा द्वितीय वैयक्तिक सहायक के शामिल पदों को मंत्री द्वारा देखे जा रहे विभिन्न विभागों में बराबर अनुपात में सृजित किया जाए।

(का.ज्ञा.सं.-10/53/77-के.सी.(ii), दिनांक 3.2.78)

(का.ज्ञा.सं.-15/2/78-के.सी.(ii), दिनांक 20.5.78)

9. मंत्रियों को स्टाफ कार ड्राइवर, संबंधित मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों में से उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मंत्री की सरकारी कार के लिए बाहर से ड्राइवर की नियुक्त से बचा जाए।

(का.ज्ञा.सं.-13/19/83-के.सी.(ii), दिनांक 2.12.83)

10. मंत्रियों द्वारा पद छोड़ने पर कार्यालय समापन के लिए वैयक्तिक स्टाफ का जारी बनाए रखना।

निवर्तमान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ के सभी सदस्य अधिकतम 15 दिनों तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं ताकि मंत्रालय/विभाग उनके अपने विभाग में वापस भेजने के प्रबंध कर सके। तत्पश्चात् यदि निवर्तमान मंत्री

चाहे तो अपने वैयक्तिक स्टाफ के केवल दो सदस्यों को कार्यालय समापन के लिए 15 दिन तक और काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

(का.ज्ञा.सं.-10/20/79-के.सी.(ii) दिनांक 2.8.79)

11. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त किए गए गैर-सरकारी पदाधिकारियों के चरित्र तथा पूर्व-वृत्त का सत्यापन

मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियां किए जाते समय, नियुक्त किए जा रहे व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुदेश कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग (स्था.ख) द्वारा जारी किए गए हैं।

12. सरकारी कर्मचारियों/बाहर से आए व्यक्तियों की मंत्रियायों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्ति

(i) ऊपरी आयु सीमा पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद पद को धारित नहीं कर सकता।

(ii) तदनुसारी पदों के लिए टंकण तथा आशुलिपि की गति सहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी होनी चाहिए; और

(iii) केवल कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की सहमति से ही उपरोक्त (i) व (ii) में छूट दी जा सकती है।

(का.ज्ञा.सं.-8/7/87-के.सी.(ii) दिनांक 21.1.88)

13. उन पदाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी जो मंत्री स्तर के तो हैं किन्तु मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं :

इन विभाग के इस तथा अन्य कार्यालय-ज्ञापनों में वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी के मानदण्ड उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनका स्तर तो मंत्री का है किन्तु जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं उनकी हकदारी उनके वास्तविक कार्यभार पर निर्भर करती है, जो कि हो सकता है तदरूपी स्तर के मंत्री परिषद के

सदस्यों के समान न हो, जिन्हें अपने मंत्रालय के कार्य तथा जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अतिरिक्त भारी मात्रा में मंत्रिमण्डल तथा इसकी समितियों, संसद व इसकी समितियों आदि से संबंधित कार्य करना होता है। अतः ऐसे पदाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों के मामलों में लागू किए जाने वाले मानदण्डों का संदर्भ दिए बिना, वास्तविक कार्यभार के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

14. चूंकि इस कार्यालय-ज्ञापन का उद्देश्य इस विषय की नीति तथा अनुदेशों को केवल व्यापक दृष्टिकोण देना है अतः नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रावधानों के लिए समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय-ज्ञापनों को देखा जाना चाहिए।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इसे सभी संबंधितों की जानकारी में ला दें।

(अजीत सिंह)

(एस.एस.बाली)

निदेशक (के.से.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

Suvey by a Hong Kong Think-Tank

967. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a survey conducted by a Hong-Kong based think-tank which obtained over 300 responses to its queries, has found India to be one of the worst administered countries in this part of Asia; and

(b) if so, the details in this regard and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SH. R. JANARTHANAN): (a* No, Sir.,

(b) The question does not arise.

मंत्रियों के निजी स्टाफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले

968. श्री अखिलेश दास: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान केन्द्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन तथा कदाचार के कई मामले पाए गए हैं और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबिनेट सचिव ने भी इन तथ्यों से केन्द्रीय मंत्रियों को अवगत कराया है; और

(घ) मंत्रियों के निजी स्टाफ में ऐसे कार्मिकों की नियुक्ति का औचित्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जर्नादनन): (क) से (घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश, उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के विधिवत् सत्यापन के उपरान्त जारी करता है। यह मंत्रालय/विभाग विशेष का दायित्व है कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुर्विनियोजन तथा कदाचार के मामलों की छान-बीन करें। इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। वैयक्तिक कर्मचारियों का चयन मंत्रियों के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है।

CISF persons working on Deputation in IOC

969. SHRI RAJNATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of CISF persons who are on deputation in the Indian Oil Corporation for the last nine years and the number of persons who have been absorbed in the IOC for the last three years till date;

(b) the number of CISF persons who were on deputation basis as Vigilance